

दि. 17/6/15 को पेशा है।

17/6/15 - पत्रावली पेशा हुई। पत्रावली में पत्रों का

सरकार द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रवीण पिता बाबू बलाई सि. शिवराजपुर द्वारा विद्या लक्ष्मी स्वीकृति कंपनी का वृक्ष काट लिया है। परवारी द्वारा प्रस्तुत पत्रों में वृक्ष काटने का कीमत रु. 500 आंकी गई। वृक्ष लक्ष्मी पिता नगली भीषण को रकबा लेकर सुपुर्द किया जाता। साथ ही पुनः लक्ष्मी सुपुर्द करने से पाबन्द किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट पर दफ्तर में मंत्रिवादी के उपासित न होने से दि. 01/07/13 को संकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न कर पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के सं बहक के आधार पर निर्णय हेतु विवेचना किया। पत्रावली में साक्ष्यवादी अथवा कर बहक सुनी गई। पत्रावली का केवलोकन किया गया। पत्रावली में प्र.पत्र पत्रों का सरकार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाववाडी को आदेशित किया जाता है कि वृक्ष काटने के जुर्माने के तहत अप्राप्ति रे. रु. 100-00 वसूल कर 100 को गार वृक्ष की नीलामी कर आंकी गई कीमत रु. 500-00 या अधिक जो भी प्राप्त हो, राज्यकोष में जमा करवाए। पत्रावली में जमा करवाए। पत्रावली में जमा करवाए है।

(Signature) 17/6/15

साम

9 10